न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:– 15/2023

तारीख रजू :– 05.08.2023

पीठासीन अधिकारी :– अमन चौधरी आर.ए.एस.

अध्यक्ष महन्त नरेशपुरी चेला महन्त किशोरपुरी ट्रस्ट स्वर्गीय महन्त गणेशपुरी स्मृति घाटा मेहन्दीपुर बालाजी, तहसील टोडाभीम, जिला करौली जरियें उपसचिव मोहनलाल तिवाडी तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

प्रार्थी

वनाम

तहसीलदार टोडाभीम, तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थित :– 1 श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट वादी

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांकः– 13.03.2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि भूमि गत खसरा नम्बर 157/186 रकवा 03 बीघा 02 विस्वा किसम गै0मु0 आबादी स्थित ग्राम मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम में है। यह भूमि आबादी की भूमि है तथा रेवेन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में सम्वत् 2000 से 2019 से व भू प्रबन्ध से पूर्व की जमाबन्दी में गै0मु0 आबादी दर्ज है, लेकिन भू प्रबन्ध विभाग ने भूलवश जमाबन्दी तैयार करते समय किसम गै0मु0 स्कूल दर्ज कर दिया। भू प्रबन्ध विभाग ने इस गत खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 302 रकवा 67 ऐयर कायम किया है, जो मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2043 से 2062 में दर्शाया है।

इस हाल खसरा नम्बर 302 महन्त गणेशपुरी चेला श्योपुरी जाति गुंसाई निवासी मेहन्दीपुर बालाजी, तहसील टोडाभीम को ग्राम पंचायत ने 2016 वर्गगज का पट्टा भी दिनांक 16.08.1959 को दिया था तथा ग्राम पंचायत सांकरवाडा ने दिनांक 05.03.2022 को श्रीमति मधु देवी पुत्री सत्यप्रकाश शास्त्री निवासी मेहन्दीपुर तहसील

अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ..., जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

टोडाभीम को भी कुल क्षेत्रफल 155.55 वर्गगज का दिया है। उक्त दोनों पट्टों के अनुसार भूमि पर काबिज तथा मालिक है।

रिकार्ड जमाबनदी में गै0मु0 स्कूल दर्ज होने के कारण इस भूमि के संबंध में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के यहां दिनांक 20.03.2013 को निर्णय पारित हुआ है, जिससे अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार टोडाभीम को निर्देश दिये है कि विवादग्रस्त भूमि का साबिक रिकार्ड देखते हुये भूमि को आबादी दर्ज करने हेतु सक्षम न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रकरण दायर करे, लेकिन तहसील टोडाभीम ने आ तक इस निर्णय की पालना नहीं की है, पालना होना अति आवश्यक है। तहसीलदार जी से कई बार निवेदन किया, लेकिन उन्होनें हमारी कभी नहीं सुनी, इसलिये प्रार्थना श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निर्णय दिनांक 20.03.2013 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के निर्देश अनुसार भूमि गत खसरा नम्बर 302 रकवा 67 ऐयर ग्राम मेहन्दीपुर में किस्म गै0मु0 स्कूल के स्थान पर किस्म आबादी दर्ज किया जावे और इस हेतु पालना बावत तहसीलदार टोडाभीम को आदेश भेजा जावे।

उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (तहसीलदार) को नोटिस जारी किये गये, बाद तामील नोटिस अप्रार्थी की ओर से कथन रहा कि खसरा नम्बर 157/186 किसम गै0मु0 आबादी के हाल खसरा नम्बर 295 रकवा 08 ऐयर, 296 रकवा 06 ऐयर, 297 रकवा 06 ऐयर, 301 रकवा 01 ऐयर, 302 रकवा 67 ऐयर कायम किये, जिसमें खसरा नम्बर 295, 296, 297 गै0मु0 आबादी दर्ज की व खसरा नम्बर 301 में गै0मु0 कुआं व खसरा नम्बर 302 रकवा 67 ऐयर में गै0मु0 स्कूल दर्ज कर दिया। प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती की श्रेणी का नहीं है और इस संबंध में अप्रार्थी की ओर से दिनांक 02.08.2017 को पटवारी हल्का द्वारा मौके की रिपोर्ट पेश की, जिसमें उक्त तथ्यों को वर्णित करते हुये दर्ज किया गया कि खसरा नम्बर 302 में वर्तमान में मौके पर अध्यक्ष महन्त किशोरपुरी चेला स्व0 महन्त गणेशीपुरी ट्रस्ट मेहन्दीपुर बालाजी की 12

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

दुकाने व महाराज का भोग प्रसाद तैयार करने के रूप में संचालित हो रहा है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर में कोई स्कूल संचालित नहीं है, जिस पर पूर्व में न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना दिनांक 29.06.2018 को खारिज फरमा दिया, जिसकी अपील प्रार्थी के द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहां उनवानी अध्यक्ष महन्त नरेशपुरी बनाम तहसीलदार तहसील टोडाभीम, अपील नम्बर 42/2022 पेश की गई, जिस पर माननीय संभागीय आयुक्त भरतपुर ने दिनांक 28.07.2023 को उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये व न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 29.06.2018 को निरस्त करते हुये इस निर्देश के साथ रिमाण्ड फरमा दी कि निर्णय के पैरा संख्या 06 में वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रकरण के संबंध में गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित करे, जिस पर उक्त पत्रावली न्यायालय में प्राप्त होने पर पुनः दर्ज की गई।

प्रकरण में उपरोक्त राजस्व रिकार्ड व मौके की तहसीलदार टोडाभीम से रिपोर्ट मंगाई गई। जिसके अनुसार दिनांक 28.08.2024 को तहसीलदार टोडाभीम द्वारा संबंधित भूमि की व रिकार्ड की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश की, जिसके अनुसार दौराने भू प्रबन्ध कार्यवाही खसरा नम्बर 157/186 के नये खसरा नम्बर 295, 296, 297, 301, 302 बनाये गये तथा नये खसरा नम्बर 295, 296, 297 के हाल रिकार्ड में गै0मु0 आबादी दर्ज होना व खसरा नम्बर 301 में गै0मु0 कुआं व खसरा नम्बर 302 की किस्म गै0मु0 स्कूल सिवायचक दर्ज की गई तथा विवादित भूमि की किस्म भू प्रबन्ध से पूर्व साबिक रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 2041 में गै0मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड है, जिसे बाद में सेटलमेन्ट द्वारा उक्त भूमि में किस्म गै0मु0 स्कूल दर्ज कर दिया गया था तथा खसरा नम्बर 302 में महन्त गणेशपुरी चेला श्योपुरी जाति गौसांई निवासी मेहन्दीपुर बालाजी तहसील टोडाभीम पंचायत में 2016 वर्गगज का पट्टा दिनांक 16.08.1959 को दिया जाना बताया है, तत्पश्चात प्रकरण में महन्त किशोरपुरी के फौत होने पर उसके विधिक वारिस महन्त नरेशपुरी को बतौर कायम मुकाम प्रकरण में पक्षकार प्रार्थी बनाया गया, जिस पर प्रकरण में बहस अन्तिम समाअत की गई। जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये प्रार्थना पत्र के साथ पेश दस्तावेजों

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

का उल्लेख करते हुये उक्त खसरा नम्बर 157/186 के साबिक रिकार्ड के अनुसार रकवा 03 बीघा 02 विस्वा गै0मु0 आबादी दर्ज होना कहकर उसके दौराने सेटलमेन्ट हाल खसरा नम्बर 295, 296, 297, 301 व 302 कायम करना जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 2041 व मिलान क्षेत्रफल से बखूबी स्पष्ट है और इस संबंध में तहसीलदार टोडाभीम की ओर से पेश दोनों रिपोर्ट में भी उक्त साबिक रिकार्ड व हाल रिकार्ड की ताईद की गई है तथा उक्त भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत सांकरवाडा द्वारा प्रार्थी के हक में भूमि के आबादी होने से पट्टा जारी किया गया है, जो दिनांक 16.08.1959 को प्रार्थी के हक में जारी किया गया तथा मौके पर साबिक रिकार्ड खसरा नम्बर 157/186 गै0मु0 जिससे कि हाल खसरा नम्बर 302 रकवा 67 ऐयर कायम हुआ है में आबादी होने से प्रार्थी की भोग–प्रसादी हेतु 12 दुकाने बनी हुई है व मौके पर किसी प्रकार का कोई स्कूल संचालित नहीं है और ना ही कोई स्कूल है, इस प्रकार साबिक रिकार्ड में भूमि गै0मु0 आबादी की रही है, लेकिन दौराने सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट द्वारा नये खसरा नम्बर कायम करते समय साबिक रिकार्ड के हाल खसरा नम्बर 302 रकवा 67 ऐयर की किस्म गलत रूप से गै0मु0 स्कूल दर्ज कर दी जबकि राजस्व सेटलमेन्ट कर्मचारियों को राजस्व रिकार्ड की एन्ट्रीज में परिवर्तन करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था, केवल मात्र पुराने इन्द्राजात को ही रिपीट करने का अधिकार क्षेत्र था, लेकिन उन्होने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया है और इस संबंध में 2009 (2) पेज नं0 958 आरआरटी, 2008 (1) पेज नं0 151 आरआरटी तथा 2012 (1) पेज नं0 670 आरआरटी, 2022 (2) पेज नं0 906 आरआरटी पेश की गई, जिनमें भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सेटलमेन्ट कर्मचारियों को राजस्व में बदलने का कोई अधिकार हासिल नहीं है तथा साबिक खसरा नम्बर 157/186 जिसका कि अन्य खसरा नम्बरान के साथ हाल खसरा नम्बर 302 रकवा 67 ऐयर भी कायम किया गया है, उसमें गै0मु0 आबादी के स्थान पर गै0मु0 स्कूल किस आधार पर दर्ज किया गया, यह कहीं भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा भूमि प्रारम्भ से ही गै0मु0 आबादी रिकार्ड में दर्ज रहीं है तथा प्रकरण केवल मात्र इन्द्राज दुरुस्ती का है जिसमें न्यायालय को साबिक रिकार्ड के हाल रिकार्ड की तुलना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

करके रिकार्ड की वास्तविक स्थिति को देखा जाना है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के द्वारा अपने प्रकरण को पूर्णरूपेण साबित किया है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर साबिक खसरा नम्बर 157/186 रकवा 03 बीघा 02 विस्वा किस्म गै0मु0 आबादी के कायम किये गये अन्य हाल खसरा नम्बरान के साथ खसरा नम्बर 302 रकवा 67 ऐयर किसम गै0मु0 सकूल के स्थान पर साबिक रिकार्ड के अनुरूप गै0मु0 आबादी दर्ज फरमाई जावे।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों पर गौर किया गया व माननीय न्यायालय द्वारा पारित की गई नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत 2009 से 2012 के मुताबिक विवादित आराजी खसरा नम्बर 157/186 रकवा 03 बीघा 02 विस्वा राजस्व रिकॉर्ड में गै०मु० आबादी दर्ज है तथा जमाबंदी संवत 2038 से 2041 में भी उक्त प्रविष्टि दोहराई गई है तथा भू-प्रबंध विभाग मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त साबिक खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 295 रकवा 08 ऐयर, 296 रकवा 06 ऐयर, 297 रकवा 06 ऐयर, 301 रकवा 01 ऐयर व 302 रकवा 67 ऐयर कायम किये तथा खसरा नम्बर 295, 296, 297 की किस्म गै०मु० आबादी दर्ज है, खसरा नम्बर 301 की किस्म गै०मु० कुआ दर्ज है, जबकि खसरा नम्बर 302 रकवा 67 ऐयर की गै०मु० आबादी के स्थान पर गै०मु० स्कूल दर्ज कर दी गई है, जो कि बिना आधार के दर्ज की गई है, जबकि मौके पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुरूप आबादी बसी हुई है और प्रार्थी के भोग-प्रसादी हेतु मौके पर दुकानें बनी होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में भूमि का उपयोग आबादी के रूप में होना भी मौका रिपोर्ट से भलीभांति स्पष्ट है।

माननीय न्यायालयों द्वारा पारित की गई नजीरों में भी सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा की गई उक्त कार्यवाही भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की गई है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

जाता है और राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में खसरा नम्बर 302 रकवा 67 ऐयर स्थित ग्राम मेंहन्दीपुर तहसील टोडाभीम की किस्म गै०मु० स्कूल के स्थान पर गै०मु० आबादी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खसरा नम्बर 302 रकवा 67 ऐयर स्थित ग्राम मेंहन्दीपुर, तहसील टोडाभीम की किस्म गै०मु० स्कूल के स्थान पर गै०मु० आबादी दर्ज की जावे और इस हेतु तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

यह निर्णय दिनांक 13.03.26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली